उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73–नेहरू रोड़, देहरादून, दूरभाष : 0135–2657610, फैक्स : 0135–2655488

पत्रांक–नि0 4124 / 13–1 विकास कार्य / रायल्टी

दिनांक: 06 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

विषयः– वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन ,कटान एंव डिपों तक ढुलान का व्यय वहन किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 4717 / III(2) / 18–37(सामान्य) / 2017–18 / दिनांक 19 सितम्बर 2018 (**प्रति संलग्न**) ।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन की उपरोक्त सन्दर्भित पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः सन्दर्भित पत्र मे दिये गये निर्देशानुसार वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन ,कटान एंव डिपों तक ढुलान का व्यय वहन किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

05-10-18

(गंभीर सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :–नि–4124 / तददिनांकित ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
2. महाप्रबन्धक (विविध), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. समस्त अधिकारी (मु0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. प्रभारी आई0टी0सैल(मु0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. **प्रतिः**–(I) शिविर पत्रावली ।
   (II) गार्ड फाईल

05-10-18

(गंभीर सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या– ——/III(2)/18–37(सामान्य)/2017

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 19 सितम्बर, 2018**

विषय– **वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, कटान एवं डिपो तक ढुलान का व्यय वहन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1216/22 बजट(एन0पी0वी0)/2017–18 दिनांक 13.11.2017 एवं पत्र संख्या–117/22 बजट(एन0पी0वी0)/2018–19 दिनांक 28.05.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, वृक्षों के कटान एवं डिपो तक ढुलान आदि पर होने वाले व्यय हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा धनावंटन की माँग प्रयोक्ता विभाग से किये जाने के प्रकरण पर यथोचित दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 11.12.2008 तथा इसके अनुक्रम में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के स्थायी आदेश संख्या–3830/13–1/विकास कार्य/रॉयल्टी दिनांक 14.09.2016 में उल्लिखित व्यवस्था **"विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में देय एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण एवं अन्य मदों की धनराशि को छोडकर आवंटी लौटों के वृक्षों के निस्तारण में होने वाले व्यय का भुगतान की धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम को की जायेगी, ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवंटित लौटों का त्वरित गति से निस्तारण किया जा सके"** के आलोक में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, कटान एवं डिपो तक ढुलान आदि पर होने वाले व्यय का उत्तराखण्ड वन विकास निगम को नियमानुसार भुगतान, लोक निर्माण विभाग के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत एन0पी0वी0 का भुगतान मद** में उपलब्ध बजट प्राविधान से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

उ0व0वि0नि0 शिविर कार्यालय देहरादून
प्राप्ति क्र. 8778 दिनांक 28/9/18

अधि.	विधि	ई.पी.एफ.	नियोजन
लेखा	शिविर	आर.टी.आई.	विपणन
ऑडिट	भण्डार	भवन प्रभारी	खनन
पी.एस.			28-9-18

MD / AMD / GM / RM / OS

संख्या–4717 /III (2)/18–37(सामान्य)/201718 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन
6. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव